तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 70/2024**	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
06.9.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी–सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला–सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) अयूब मिस्बल्लाह खान पठान, नॉमिनी, फर्म गुजरात फूड वेब प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक 2545, अशोक चावल मिल के पास, नाज रोड, जेतलपुर, अहमदाबाद–382426 अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.6.2021 को फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) का नमूना संख्या S-1433 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./388/Act/2021/486 दिनांक 09.7.2021 में मिथ्याछाप (misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 21.8.2023 को प्रतिवादी संख्या–1 (निलेश कुमार) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 25.6.2021 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सेम्पल लिया गया था जो की केजी कम्पनी का सिल पैक अवस्था में लिया था, इसलिये इस प्रकरण में समस्त जिम्मेदारी गुजरात फूड वेब प्रा.लि. अहमदाबाद की है, जिसका बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को प्रस्तुत कर दिया था। जबकि प्रतिवादी संख्या–2 (अयूब बिसमिल्लाह खान पठान) को नोटिस की पंजीकृत ड़ाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ एवं न ही जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादी संख्या–2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मिसल का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। मैनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 25.6.2021 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये, वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, माउन्ट आबू उपस्थित मिलें, जो खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] के दौरान आम जनता को ......लगातार	

पीठा. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:30 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 70/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल को गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बााजार, माउन्ट आबू की दुकान के अन्दर आम जनता के विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) के 42 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से Chocolate softy premix (Kreamaze) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं Chocolate softy premix (Kreamaze) की कीमत राशि रुपये 476/- (अक्षरे रुपये चार सौ छियत्तर मात्र) प्रतिवादी विक्रेता निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1433, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता निलेश कुमार के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीदशुदा Chocolate softy premix (Kreamaze) के चारों पैक्ड पैकेटो पर पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-1433 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल के हस्ताक्षर कराये तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.6.2021 को .....लगातार	

प्रति. जिला परिषद्
सिरोही-307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:30 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 70/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू में प्रतिवादी विक्रेता निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल से खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) के पैक्ड पैकेटो (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से Chocolate softy premix (Kreamaze) के नमूना संख्या S-1433 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./388/Act/ 2021/486 दिनांक 09.7.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ Chocolate softy premix (Kreamaze) का नमूना मिथ्याछाप (misbranded) पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू एवं प्रतिवादी फर्म गुजरात फूड वेब प्रा.लि. द्वारा द्वारा मिथ्याछाप (misbranded) Chocolate softy premix (Kreamaze) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) Chocolate softy premix (Kreamaze) के विक्रय हेतु प्रतिवादी निलेश कुमार पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, माउन्ट आबू, प्रोपराईटर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म चन्द्रा एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप (Misbranded) Chocolate softy premix (Kreamaze) के विक्रय, पैकिंग व निर्माण हेतु प्रतिवादी फर्म गुजरात फूड वेब प्राईवेट लिमिटेड़, ब्लॉक 2545, अशोक चावल मिल के पास, नाज रोड, जेतलपुर, अहमदाबाद–382426 पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी निलेश कुमार तथा फर्म गुजरात फूड वेब प्राईवेट लिमिटेड के नॉमिनी प्रतिवादी अयुब बिस्मिल्लाह खान पठान को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.10.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:02:30 IST
Reason: SelfAttested